न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– अपील/08/2014

कैलाशचन्द जांगिड़ पुत्र श्री मांगीलाल जाति जांगिड़ निवासी दीपपुरा राजाजी तहसील धोद जिला सीकर– राज.

–अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत, सूठोठ, पंचायत संमिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये सरपंच
2. नाथा पुत्र उदा जाति जांगिड़ निवासी ढाणी चैनदास, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.03.2014 ग्राम पंचायत, सुठोठ, पं.स. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जिस निर्णय द्वारा नामान्तरकरण सं 275 खारिज किया गया।

–:निर्णयः– **दिनांक – 22.05.2018**

अपीलान्ट कि ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम ढ़ाणी चैनदास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 393/5/2 रकबा 0.39 हैक्टर अवस्थित है जिसके 1/2 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार नाथा पुत्र उदा जागिड़ निवासी ढ़ाणी चैनदास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर 1/2 हिस्सा की खातेदारी जगदीशदास चैला नारायण दास स्वामी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि में अपीलान्ट कैलाशचन्द को दिनांक 02.01.2014 को जरिये पंजीकृत विक्रय – पत्र का विक्रय पत्र क्रेता अपीलान्ट कैलाशचन्द को संभला दिया तथा इस विक्रय का विक्रय पत्र क्रेता अपीलान्ट कैलाशचन्द के नाम उप–पंजीयन नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ के कार्यालय में दिनांक 02.01.2014 को क्रम संख्या 300 पर पंजीकृत करवा दिया। बाद खरीद अपीलान्ट अपने हिस्सा की भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है।

अपीलान्ट की खरीद शुदा भूमि का नामान्तरकरण नम्बर 275 दिनांक 20.01.2014 को दर्ज कर ग्राम पंचायत सूठोठ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत ने दिनांक 05.03.2014 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व आदेश 05.03.2014 के विरूद्ध अपील निम्नआधारों पर सादर प्रस्तुत हैः–

यह कि चुनौतीग्रस्त निर्णय व आदेश दिनांक 05.03.2014 अधिनस्थ ग्राम पंचायत पूर्णतया विधि विरूद्ध एवं विरूद्ध पत्रावली है। अतः प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम ढ़ाणी चैनदास तहसील लक्ष्मणगढ़ में कृषि भूमि खसरा नम्बर 393/5/2 रकबा 0.39 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त भूमि 1/2 हिस्सा का खातेदार काबिज काश्तकार नाथा पुत्र उदा जांगिड़ था जिसने अपने हिस्सा की उक्त भूमि प्रतिफल लेकर अपीलान्ट का विक्रय कर दी तथा इसका विक्रय पत्र उप–पंजीयक नेछवा के कार्यालय में दिनांक 02.01.2014 को क्रम संख्या 300 पर पंजीकृत करवा दिया विक्रेता खातेदार ने विक्रीता भूमि का कब्जा क्रेता अपीलान्ट को वास्तविक व व्यावहारिक संभला दिया तथा बाद खरीद क्रेता अपीलान्ट उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है विक्रय से पूर्व कब्जा काश्त विक्रेता खातेदार का था तथा वाद विक्रय कब्जा क्रेता अपीलान्ट का है किन्तु अदालत मातहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने क्रेता विक्रता का कब्जा न होना मानकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण खारिज कर दिया जो निर्णय अपास्त होने योग्य हैं।

यह कि विक्रेता खातेदार काबिज काश्तकार द्वारा क्रेता को वास्तविक व व्यावहारिक कब्जा संभलाने की इबारत विक्रय पत्र में दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि विक्रय से पूर्व क्रेता विक्रेता का कब्जा था तथा बाद विक्रय क्रेता का कब्जा है किन्तु इसके बावजूद अदालत मातहत ने क्रेता का कब्जा न मान कर नामान्तरकरण खारिज करने में भारी भूल की है।

यह कि विक्रेता द्वारा क्रेता को कब्जा संभलाने की इबारत विक्रय पत्र में दर्ज है इसलिए अदालत मातहत को कब्जा के बिन्दू पर नामान्तकरण खारिज करने को कोई अधिकार नहीं है तथा अदालत मातहत ने अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो निर्णय अपास्त होने योग्य है।

यह कि अदालत मातहत ने राजनैतिक रंजिशवश चूनौतिग्रस्त निर्णय पारित किया अपीलान्ट कि खरिद शुदा भूमि मुख्य सडक के दोनो ओर अवस्थित है तथा कीमति भूमि जिसके नामान्तकरण का साजसी रुप से खारिज किया है इसलिये चुनौतिग्रस्त निर्णय अपास्त होने योग्य है।

यह कि चुनौतिग्रस्त निर्णय से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया तथा न कोई जांच कि तथा मनमानी ढ़ग से निर्णय पारित कर दिया जो न्याय के प्राकृति सिद्धांत के विपरित होने के कारण अप्राप्त होने योग्य है।

यह कि अदालत मातहत ने चुनौतिग्रस्त निर्णय साजीस रुप से कर दिया तथा इसकी जानकारी अपीलान्ट को नहीं दि अब दिनांक 29.08.2014 को अपीलान्ट पटवारी हल्का से नामान्तरकरण बाबत पूछा तो पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को बताया की तुम्हारा नामान्तरकरण दिनांक 05.03.2014को खारिज हो गया हैं तब अपीलान्ट ने इसकी नकल पटवारी हल्का ली तथा इसकी अपील प्रस्तुत कर रहा है इससे पहले अपीलान्ट को इसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी के हिसाब से अपील अन्दर मियाद है फिर भी आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र अलग से प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत की जा रही है।

यह कि अन्य तर्क वरवक्त बहस अर्ज किये जावेंगें। यह कि अपील माननीयन्यायालय के श्रवणाधिकारी क्षैत्राधिकार में है। यह कि अपील उचित कोर्ट फिस पर मियाद सादर प्रस्तुत है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय व आदेश दिनांक 05.03.2014 अपास्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण अपीलांट के नाम से स्वीकार फरमाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त अपील प्रार्थना–पत्र के साथ अपीलांट कि ओर में इस संबंध में अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उल्लेखित किया है कियह कि अदालत मातहत ने चुनौतिग्रस्त निर्णय सजसी रुप से कर दिया तथा इसकी जानकारी अपीलान्ट नहीं होने दि अब दिनांक 29.08.2014 को अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से नामान्तरकरण बाबत पूछा तो पटवारी हल्का ने अपीलान्ट को बताया की तुम्हारा नामान्तकरण दिनांक 05.03.2014 को खारिज हो गया है। तब अपीलांन्ट इसकी नकल पटवारी हल्का से ली तथा इसकी अपील प्रस्तुत कर रहा है। इसमें पहलें अपीलान्ट को इसकी जानकारी नहीं थी जानकारी के हिसाब से अपील अन्दर मियाद है।

यह कि अपील प्रस्तुत में जानबूजकर विलम्ब नहीं किया गया बल्कि जानकारी के अभाव विलम्ब हुआ है। जो क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है। कि आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाकर अपील प्रस्तुत की अनुमति प्रदान कर सुनवाई करने कि कृपा करें।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरीये नोटिस रेस्पोंडेंटस को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 2 पर विधिवत तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर उक्त के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोंडेंट सं. 1 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये परन्तु जवाब पेश नहीं किया। इसी दौरान रेस्पोंडेंट सं. 2 नाथा के फौत होने पर अपीलांट अभिभाषक ने आवेदन बाबत कायम मुकाम पेश किया। उक्त आवेदन का निस्तारण शेष रहने के दौरान रेस्पोंडेंट सं. 2 नाथा (फौत मुताबिक पेश कायम मुकाम आवेदन) के पुत्र शिवभगवान के फौत होने पर अपीलांट अभिभाषक ने आवेदन बाबत कायम मुकाम पेश किया। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सुठोठ में पेश हुई। केम्प स्थल पर मज्में आम से उक्त प्रकरण के बारे में पूछताछ की गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अभिलेखों का अवलोकन किया। उपरोक्त समग्र अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण अपील का है जो कि न्यायालय में वर्ष 2014 से लम्बित हे। प्रकरण में उल्लेखित नामान्तकरण को ग्राम पंचायत द्वारा बिना किसी विधिक प्रकिया अपनाये बिना पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये ही तस्दीक कर दिया जो कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है। जो कि प्रथत दृष्ट्या विधि विरूद्ध प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सूठोठ पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के नामान्तकरण संख्या 275 दिनांक 05.03.2014 बाबत ग्राम ढाणी चैनदास पटवार हल्का सूठोठ तहसील लक्ष्मणगढ को को अपास्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वर्णित आराजियात खसरा नम्बर 393/5/2 वाके ग्राम ढ़ाणी चैनदास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के संबंध में पुनः सभी पक्षों को सुन कर गुणावगुण आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण की प्रकिया पूर्ण करें। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.05.2018 को केम्प कोर्ट सूठोठ मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)